न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा

पीठासीन अधिकारीः– सन्तोष कुमार गोयल (आर0ए0एस0)
प्रकरण कमांक– 11 / 2016
व. मु. उन.

1. दर्शननाथ पुत्रगण निहाल सिहं कौम सपेरा निवासीगण नाथोकापुरा खनपुरा तहसील
2. केताननाथ राजाखेडा जिला धौलपुर

––––प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार राजाखेडा वहैसियत लैण्ड होल्डर

––––असल अप्रार्थी

2. आर.जी.बी. शाखा राजाखेडा

–––– Formal non applicant

3. ललित कुमार उर्फ वन्टी पुत्र रमेश चन्द कौम ब्रामहण निवासी गॉव खनपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर (माननीय राजस्व वोर्ड के आदेश अनुसार पक्षकार प्रकरण बनाया गया है)

–––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र u/s 136 LR act correction of Error

उपस्थिति :–

1. श्री आश्विनी कुमार जैन एडवोइट (प्रार्थीगण की ओर से)
2. श्री किशन सिहं त्यागी एडवोइट (अप्रार्थी सं. 03 ओर से)
3. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा

दिनांक :– 05.03.2020

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थाना पत्र का सार संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि प्रार्थीगण सपेरा जाति के अनुसूचित जाति की catagory में आते है तथा विवादित आराजी ख.नं. 308 रकवा 1–09 विस्वा साविक नं. 198 नि. 310 रकवा 1–14 विस्वा, साविक नं. 225 मिनं 314 रकवा 1–04 विस्वा, साविक नम्बर 225 मिन 319 रकवा 0–13 विस्वा साविक नं. 225 मिन. 324 रकवा 0–02 विस्वा, साविक नं. 190 मिन 329 रकवा 1–07 विस्वा , साविक नं. 191,192 मिन 333 रकवा 1–06 विस्वा, साविक नं. 191 मिन 346 रकवा 0–12 विस्वा, साविक नं 190 मिन 351 रकवा 0–17 विस्वा, साविक नं. 188 मि. 190 मिन 364 रकवा 0–11 विस्वा, साविक नं. 1989 मिन 443 रकवा 1–05 विस्वा, साविक नं. 2 मिन 189 मिन 446 रकवा 0–12 विस्वा, साविक नं. 189 मिन 453 रकवा 0–12 विस्वा, 189 मिन 458 रकवा 0–05 विस्वा, साविक नं. 189 मिन 619 रकवा 1–00 विस्वा, साविक नं. 225 मिन 1020 / 449 रकवा 1–13 विस्वा, साविक नं. 198 मिन स्थित गॉव खनपुरा तहसील राजाखेडा साविक में सेटलमेन्ट से पूर्व उपरोक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के पिता एवं उनके भाइयों बादामनाथ, मुदरिया, दरियाब पि. ख्यालीनाथ जाति सपेरा की खातेदारी की थी। प्रार्थीगण पिता निहाल सिहं एवं बाबा ख्यालिनाथ की जाति सपहेरा (सपेरा) थी। जो कि स्वीकृत रूप से अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। दौराने बन्दोबस्त महकमा बन्दोबस्त अधिकारियों ने बिना किसी आदेश अधिकार के पुराने इन्द्रजातों को रिपोर्ट किये बिना प्रार्थीगण के पिता निहाल सिहं की जाति सपहेरा (सपेरा) को बदलकर नाथ दर्ज कर दी। जिसका महकमा बन्दोबस्त के अधिकरियों को कोई अधिकार नहीं था। उक्त प्रकार के इन्द्राजात गलत व अवैध है जिन्हें धारा 136 एल. आर. एक्ट. के अन्तर्गत दुरस्त किया जाकर प्रार्थीगण की जाति नाथ के बजाय सपहेरा (सपेरा) राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थीगण ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्बत 2015 –2018 नकल जमाबन्दी सम्बत 2020–2023 नकल मिसिल बन्दोस्त सम्बत 2022 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2022 नकल जमाबन्दी सम्बत 2027 –2030 नकल जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 नकल जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 अमुक दास्वेजात साक्ष्य पेश किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी सं. 01 व 02 को जरिंये नोटिस तलव किया गया। अप्राथी सं. 01 द्वारा जबाब प्रस्तुत किया एवं अप्रार्थी सं. 02 के यहॉ आराजी रहन होने के कारण उसके द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा है। अतः उनके विरूद्व दिनांक 28.12.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं

को माननीय राजस्व वोर्ड के आदेश से पक्षकार प्रकरण बनाया गया है।

अप्रार्थी सं. 01 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के कथनों को अस्वीकार किया गया तथा निवेदन करते हुये कहा कि मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) खाता 491 पर प्रार्थीगण की जाति नाथ दर्ज है प्रार्थीगण सिद्व करें। अप्रार्थी सं 03 ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के कथनों से इन्कारी होते हुये सारस्व जबाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुर्भावना पूर्वक अनुसूचित जाति प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किये है। प्रार्थीगण की जाति राजस्व रिकार्ड में नाथ दर्ज है। जिसमें संसोधित कर सपेरा दर्ज कराना चाहते है। जो अवैध व गलत हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वन्दोबस्त अधिकारियों ने बिना किसी आदेश अधिकार के प्रार्थीगण की जाति सपहेरा (सपेरा) के स्थान पर नाथ दर्ज कर दी। जो गलत व अवैध हैं। उपरोक्त प्रकरण की गलत व अवैध कार्यवाही से प्रार्थीगण की जाति को बदला नहीं जा सकता है। वन्दोबस्त अधिकारियों को old enteries को रिपोर्ट करना चाहिये अपने तर्को के समर्थन में दस्तावेजाती साक्ष्य एवं निम्न न्यायिक दृष्टायन्त पेश किये–

1. RBJ 2015 P 35, 380
2. RBJ 1998 P 390
3. DNJ 1995 (Raj) P
4. DNJ 1995 P- 77
5. RLW 2009 P- 778
6. RBJ 2015 (sc) P 250
7. RBJ 2013 P- 83
8. RBD 1994 P- 254
9. RRT 2009 (10) P 337
10. RBJ 2012 P 815

बहस वकील अप्रार्थीगण सं 03 सुनी गई उन्होंने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों का दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बदनीती एवं दुर्भावना पूर्वक जाति बदलकर अनुचित तरीके से नाथ जाति से सपेरा जाति प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण की जाति राजस्व रिकार्ड में नाथ दर्ज है जो सही है। धारा 136 एल. आर. एक्ट. की कार्यवाही में सैटलमेंट की कार्यवही को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जरिये प्रश्नों का निर्धारण नियमित दावे से ही किया जा सकता है तथा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर में दिनांक 02.01.2019 को अपनी अध्यक्षता में जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा प्रार्थी के पुत्र रामवीर की जाति सपेरा प्रमाणित कर नाथ जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। जिसके सम्बंध में अप्रार्थी सं. 03 ने माननीय उच्च न्याययलय पीठ जयपुर में रिट दायर की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 02.01.2019 का आगामी आदेश तक रोक दिया था। अपने तर्को के समर्थन में निम्न दृष्टान्त पेश किये–

1. RRT 2012 (1) P 670 (R.B.)
2. RRD 2015 P 130
3. RRT 2011-12 (sc) P 284
4. RRT 2015 (1) (sc)P 10
5. RRT 2019 (1) (Rav. Board) P 219

बहस उभय पक्ष सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया है प्रार्थीगण के वकील का मुख्य तर्क यह रहा है कि वन्दोवस्त अधिकारीयों ने बीना किसी सक्षम अधिकारी एवं अधिकर के प्रार्थीगण की जाति मिसिल वन्दोवस्त सम्वत 2022 में सपहेरा (सपेरा) के स्थान पर नाथ दर्ज कर दी गई जबकि उन्हें पुरानी entries का Respect करना चाहिये इस तर्क के समर्थन में प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दास्वेजाती साक्ष्य जमावन्दी सम्बत 2015 से 2018 जमावन्दी सम्बत 2020–2023 जमावन्दी सम्बत 2028 का गहनता से अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की जाति सपहेरा दर्ज रिकार्ड है उपरोक्त इन्द्राजातों

उप खण्ड अधिकारी
राजाखेडा धौलपुर (राज.)

की ही बन्दोबस्त अधिकारीयों के द्वारा पुनः दर्ज न कर त्रुटी व गलती की है। त्रुटी व गलती को धारा 136 एल.आर.एक्ट. के अन्तर्गत शुद्व किया जा सकता है प्रार्थीगण के अधिवक्ता का दूसरा कथन यह रहा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.1998 का भी अवलोकन किया गया उसमें भी प्रार्थीगण को सपेरा जाति का माना है प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय भी हस्तगत प्रकरण में चश्पा होते है। वकील अप्रार्थी सं0 03 का मूल तर्क यह रहा कि सेटिलमन्ट द्वारा की गई त्रुटी या गलतियों को धारा 136 एल. आर. एक्ट. में शुद्व नहीं किया सकता जटिल प्रश्नों का निर्धारण नियमित दावें में किया जा सकता है इसका तर्क यह रहा कि दिनांक 02.01.2019 को छानवीन समिति जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में बदला गया। जिसमें आगामी आदेश तक उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाई है। वकील अप्रार्थीगण के उपरोक्त दोंनों तर्कों से न्यायालय सहमत नहीं है। धारा 136 एल. आर. एक्ट के अन्तर्गत किसी भी त्रुटी व गलती को सुधारा जा सकता है। जो रिट माननीय उच्च न्यायालय में लम्वित है। उसमे इस प्रकरण के सम्बन्ध में कोई भी आदेश माननीय उच्च न्यायालय में चेंलेंज नहीं किया और अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। फलस्वरूप न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझती है एवं स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण का प्रार्थाना पत्र 136 एल. आर. एक्ट. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी ख.नं. 308 रकवा 1–09 बीघा, 310 रकवा 1–14 बीघा, 314 रकवा 1–04 बीघा, 319 रकवा 0–13 बीघा, 324 रकवा 0–02 बीघा, 329 रकवा 1–07 बीघा, 333 रकवा 1–06 बीघा, 346 रकवा 0–12 बीघा, 351 रकवा 0–17 बीघा, 364 रकवा 0–11 बीघा, 443 रकवा 1–05 बीघा, 446 रकवा 0–12 बीघा, 453 रकवा 0–12 बीघा, 458 रकवा 0–05 बीघा, 619 रकवा 1–00 बीघा, 1020/449 रकवा 1–13 बीघा कुल किता– 16 कुल रकबा 15 बीघा 02 बिस्वा स्थित गॉव खनपुरा तहसील राजाखेडा पर प्रार्थीगण की जाति नाथ को लोपित किया जाकर प्रार्थीगण की जाति सपहेरा (सपेरा) दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजाखेडा को राजस्व रिकार्ड में जाति में दुरूस्ती किये जाने बाबत परवाना जारी हो। तहसीलदार राजाखेडा उक्त आदेश की पालना कर रिपोर्ट अवलम्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.03.2020 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षरित सुनाया गया।

सन्तोष कुमार गोयल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा